



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 41) पटना, बुधवार, 11 जनवरी 2023

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

11 जनवरी 2023

एस० ओ० 91, दिनांक 11 जनवरी 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम – 12, 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियमावली, 2022 है ।
- (2) ये तारीख 1 दिसम्बर, 2022 से प्रभावी हुये माने जायेंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, -

- (क) नियम 122 का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) नियम 124 और नियम 125 का लोप कर दिया जाएगा;
- (ग) नियम 127 में, “कर्तव्य” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आता है, “कृत्य” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (घ) नियम 134 का लोप कर दिया जाएगा;
- (ङ) नियम 137 का लोप कर दिया जाएगा;

- (च) नियम 137 के पश्चात के स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(क) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण अभिप्रेत है;'

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)158)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

11 जनवरी 2023

एस० ओ० 91, दिनांक 11 जनवरी 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)158)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 11th January 2023

S.O. 91, Dated 11th January 2023—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of December, 2022.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017.—

- (a) rule 122 shall be omitted;
- (b) rules 124 and 125 shall be omitted;
- (c) in rule 127,-
 - (i) in the marginal heading, for the word "Duties", the word "Functions", shall be substituted;
 - (ii) for the words "It shall be the duty of the Authority,-", the words "The authority shall discharge the following functions, namely:—" shall be substituted;
- (d) rule 134 shall be omitted;
- (e) rule 137 shall be omitted;

- (f) after rule 137, in the Explanation, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
(a) “Authority” means the Authority notified under sub-section (2) of section 171 of the Act;’

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 158)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>